न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 127/2024

1. अशोक कुमार पुत्र हनुमान
2. कोयली देवी पत्नि कालूराम
3. घासीराम पुत्र कालू
4. तुलसीराम पुत्र हनुमान
5. प्रभुदयाल पुत्र कालू
6. फूलचन्द पुत्र कालू
7. बजरंगलाल पुत्र कालू
8. बालूराम पुत्र जमना
9. भागीरथ पुत्र कालूराम
10. मदनलाल पुत्र कालूराम
11. रामप्यारी पत्नि हनुमान

समस्त जाति कुमावत निवासी करणसर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. छीतरमल पुत्र लालूराम
2. रामूराम उर्फ रामलाल पुत्र लालूराम

समस्त जाति कुमावत निवासी करणसर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

3. कल्याणमल पुत्र सेडूराम
4. बीरबल पुत्र सेडूराम
5. मूलचन्द पुत्र सेडूराम
6. रूपनारायण पुत्र सेडूराम
7. रामनारायण पुत्र सेडूराम
8. रामलाल पुत्र सेडूराम–फौत के बजाय वारिसानः–

8/1– गीतादेवी पत्नि रामलाल

8/2– हंसा पुत्री रामलाल

8/3– रमेश पुत्र रामलाल

8/4– लेखराज पुत्र रामलाल

9. लालचन्द पुत्र सेडू

समस्त जाति यादव निवासी डूंगरसी का बास तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर जरिये प्रबंधक

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

11. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88,53,188 रा0टी0ऐ0

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता वादी

2. श्री बबलु कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 20/08/2025

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि वाकै ग्राम करणसर पटवार हल्का करणसर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे आराजी खाता सं0 298 की आराजी ख0न0 212/2 रकबा 0.8978 है0, ख0न0 49/1 रकबा 0.8346 है0 किता दो कुल रकबा 1.7324 है0 तथा खाता सं0 299 की आराजी ख0न0 1/1 रकबा 1.1886 है0 ख0न0 2/1 रकबा 0.7713 है0, ख0न0 3/1 रकबा 0.9231 है0, ख0 न0 5/2 रकबा 0.8599 है0 ख0न0 50/1 रकबा 0.8599 है0, ख0न0 51 रकबा 2.1370 है0, ख0न0 53/2 रकबा 0.253 है0, ख0न0 57 रकबा 0.5311 है0, किता कुल 8 कुल रकबा 7.2962 है0 है। जो वादीगण व प्रतिवादी सं01ल02 की सह खातेदारी मे दर्ज है तथा उनका हिस्सा मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकोर्ड के अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 300 की आराजी ख0न0 41/1 रकबा 0.0885 है0, ख0न0 41/4 रकबा 1.1128 है0, ख0न0 42/3 रकबा 0.7208 है0, ख0न0 42/5 रकबा 0.3161 है0, किता कुल 4 कुल रकबा 2.2382 है0 है जिसमे वादीगण व प्रतिवादी सं01ल09 का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं01 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्वर्गीय जमना के वंशज है तथा उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं01 ने अपनी आपसी सहमति से मनबट के आधार पर उपरोक्त आराजीयात का विभाजन कर रखा है। जिसके तहत खाता सं0 299 की आराजीयात वादीगण के हिस्से मे रही तथा खाता सं0298 की आराजीयात मे ख0न0 212/2 का सम्पूर्ण रकबा एवं ख0न0 49/1 रकबा 0.8346 है0 मे से 0.5200 है0 प्रतिवादी सं01 व 2 हिस्से मे रही तथा ख0न0 49/1 का शेष हिस्सा 0.3146 है0 की आराजीयात वादीगण के हिस्से मे रही। इसी प्रकार खाता सं0300 की आराजीयात प्रतिवादी सं01 व 2 के हिस्से मे रही तथा वादीगण व प्रतिवादी सं01 व 2 इसी प्रकार से आपसी सहमति से हुये विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। खाता सं0300 की आराजीयात मे प्रतिवादी सं03 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा है जो बदस्तूर उनके हिस्से मे रहेगी तथा प्रतिवादी सं03ल09 अपनी उक्त आराजीयात पर मौके पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

वाद पत्र मद नं02 के अनुसार विभाजित हो रखी भूमि का विधिक रूप से विभाजन दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं01ल09 हमेशा बहाने बाजी करते आये है और कहते रहे कि जब भी समय मिल जायेगा विभाजन इसी अनुसार करवा लेगे। परन्तु अब प्रतिवादी सं01ल09 विभाजन करवाने के लिए तैयार नही है तथा दिनांक 30/10/2024 को जब वादीगण ने प्रतिवादी सं01ल09 को विधिक रूप से कब्जे के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं01ल09 इंकार हो गये। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण सं01ल09 ने यदि वादीगण के कब्जे के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन विधिक रूप से नही करवाया और मनचाही जगह कब्जा करके वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया एवं भूमि मे किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया एवं भूमि का बेचान कर दिया तो वादीगण को असहनीय हानि होगी व अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए प्रतिवादी सं01ल09 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी विभाजन विरूद्व प्रतिवादी सं01ल09 इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि खाता सं0298 की आराजी ख0न0 212/2 रकबा 0.8978 है0 की सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी सं01 व2 को समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम हजफ किया जावे तथा ख0न0 49/1 रकबा 0.8346 है0 मे से 0.5200 है0 मे प्रतिवादी सं01 व 2 को समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं शेष हिस्सा 0.3146 है0 मे वादी सं01, 4, 11 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, तथा वादी सं0 2, 3, 5ल07 व 9 एवं 10 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं वादी सं08 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार खाता सं0 299 की आराजीयात मे सम्पूर्ण रकबे का वादी सं01,4,11 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, वादी सं02,3,5ल07 व 9 एवं 10 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से एवं वादी सं08 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजीयात से प्रतिवादी सं01 व 2 का नाम हजफ किया जावे तथा खाता सं0300 की आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादी सं01 व 2 के नाम जो हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उसमे वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीसं01 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे अर्थात कुल आराजीयात मे प्रतिवादी सं01 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं02 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं03ल09 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी कायम किया जाकर विवादित

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

आराजीयात का मौके कब्जे अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर नक्शे कुर्रेजात तहसीलदार जोबनेर से मंगवाये जाकर मुताबिक नक्शे अनुसार विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जावे।

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं01ल09 स्थायी निषधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं01ल09 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे, ना ही बेदखल करे एवं ना ही दखलदांजी करे, ना ही रहन बैय मुंतकिल हस्तान्तरण करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 लगा0 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 का अवलोकन किया। उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदार, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद दिनांक 30.04.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2025 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 08.07.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

बहस कुरेजात अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वादीया का वाद दिनांक 08.07.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद दिनांक 08.07.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 08.07.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम करणसर

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	अशोक कुमार, तुलसीराम पि0 हनुमान हि0 38/144 रामप्यारी पत्नी हनुमान हि0 5/72 व घासीराम, प्रभूदयाल, फूलचंद, बजरंगलाल, मदनलाल पि0 कालू हि0 5/21 कोयली देवी पत्नी कालूराम हि0 1/21 भागीरथ पुत्र कालूराम हि0 1/21 व बालूराम पुत्र जमना हि0 1/3 समस्त जाति कुमावत सा.देह खातेदार।	1/1 2/1 3/1 5/2 50/1 51 53/2 57 49/1/ए	1.1886 0.7713 0.9231 0.8599 0.8599 2.1370 0.0253 0.5311 0.3146	
		किता–09	7.6108	
2	छीतरमल, रामूराम पि0 लालूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति कुमावत सा. देह खातेदार	49/1/बी 212/2 41/1/बी 42/3/बी 42/5/बी 41/4/बी	0.52 0.8978 0.0442 0.3604 0.1580 0.5564	
		किता–6	2.5368	
3	कल्याणमल, बीरबल, मूलचन्द, रूपनारायण, रामनारायण, रामलाल, लालचंद, पि0 सेडूराम हि0 बराबर जाति यादव सा. डूंगरसी का बास खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण सम्मान खातेदार पी.एन.बी शाखा करणसर	41/1/ए 42/3/ए 42/5/ए 41/4/ए	0.0443 0.3604 0.1581 0.5564	
		किता–04	1.1192	

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 08.07.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 08.07.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(नेहा राठी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर